शिक्षा के क्षेत्र में कुछ संवैधानिक संघर्ष

पिछले 65 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ संवैधानिक संघर्ष नजर आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे और प्रमुख मुकदमे नीचे दिए जा रहे हैं।

1. शिक्षा का अधिकार

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) : इस केस में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार सीधे–सीधे जीवन के अधिकार से निकलता है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा के अधिकार का आश्वासन तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उसके साथ में शिक्षा का अधिकार भी न हो। इसलिए राज्यों का दायित्व है कि अपने नागरिकों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करे।

2. अनुच्छेद 21 ए की संवैधानिक वैधता

प्रमति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2014) : इस केस में कहा गया है कि अनुच्छेद 21 ए, जो शिक्षा के अधिकार की गारण्टी देता है, संवैधानिक रूप से वैध था और उसके बुनियादी ढाँचे का उल्लंघन नहीं करता। हालाँकि केस ने यह भी कहा कि सभी सांस्कृतिक अल्पसंख्यक प्रशासित शैक्षिक संस्थान आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 को लागू करने से मुक्त होंगे।

3. आर.टी.ई. अधिनियम की संवैधानिक वैधता

सोसायटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2012) : इस केस ने आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 का समर्थन किया और कहा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यक्तियों के व्यापार और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता।

4. अल्पसंख्यक अधिकार

गाँधी फैज–ए–आलम कॉलेज बनाम शाहजहाँपुर (1975) : इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कॉलेज के प्रबन्धन बोर्ड पर 'प्राचार्य और स्टाफ' के प्रतिनिधित्व का प्रावधान कॉलेज के बेहतर प्रबन्धन के अनुकूल है और इसकी प्रकृति de minimis (न्यायालय तुच्छ बातों से सरोकार नहीं रखता) है ताकि अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन न हो, जो सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की गारण्टी देती है।

5. आरक्षण नीति की वैधता

पी. ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) : इस केस में अदालत ने कहा कि राज्य वैध रूप से निजी शिक्षण संस्थानों पर आरक्षण आबन्ध लागू नहीं कर सकता। इस निर्णय के परिणामस्वरूप 93वाँ संवैधानिक संशोधन हुआ जिसने इस प्रकार की नीतियों की अनुमति दी।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2008) : इस केस में अदालत ने कहा कि 93वाँ संवैधानिक संशोधन, जिसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण की अनुमति देने वाले संविधान के अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा, संवैधानिक रूप से वैध था।

इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (1992) : इस केस में अदालत ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के प्रयोजन के लिए सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए कारकों की एक ऐसी विस्तृत शृंखला का प्रयोग किया जा सकता है जो केवल जाति तक सीमित न हो। इसने यह सिफारिश भी की कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए आर्थिक मापदण्ड का उपयोग किया जाए, जिसने 'क्रीमी लेयर या समुन्नत वर्ग' की अवधारणा को जन्म दिया।

6. आर.टी.ई. में आधारिक संरचनात्मक मानक

जे.के राजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2014) : इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पेयजल, लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय की उपलब्धता और शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए अलग सुविधाएँ सुनिश्चित करने को कहा। गौरतलब है कि अदालत ने प्रमति का हवाला देते हुए कहा कि ये निर्देश अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होंगे। दो न्यायाधीशों के पीठ ने इन निर्देशों की आवश्यकता को न्यायोचित ठहराते हुए इस मुहावरे को चुना "बुनियादी मानव अधिकार जो शिक्षा प्रदान करने वाले स्थान के वातावरण का संवर्धन करते हैं।

कानूनी मामलों के ये सारांश **गौरव मुखर्जी** द्वारा संकलित किए गए हैं जो अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ पॉलिसी एण्ड गवर्नेन्स में ग्रेजुएट फेलो हैं। **अनुवाद** : नलिनी रावल